सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 25, बुधवार, शाके 1943-मार्च 16, 2022
Phalguna 25, Wednesday , Saka 1943- March 16, 2022

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2022

संख्या एफ. 13(13)विशा/विस/2022 :-**हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022** को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

2022 का विधेयक **सं.13**

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2019 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 11 का संशोधन.- हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम सं. 11) की धारा 11 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में पत्रकारिता या जनसंचार की किसी शाखा में न्यूनतम बीस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई वृत्तिक न हो और जो सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला न हो" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य में पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध करने हेतु राज्य विधान-मण्डल द्वारा 2019 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों और अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 11 की उप-धारा (2) में भी समरूप उपबंध किया गया था कि इस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् होगा।

चूंकि उक्त विश्वविद्यालय केवल पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए राज्य सरकार ने यह आवश्यक समझा है कि खोजबीन समिति, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में पत्रकारिता और जनसंचार की किसी भी शाखा में न्यूनतम बीस वर्ष का अनुभव रखने वाले वृत्तिक की भी सिफारिश कर सकेगी। तदनुसार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 11 की विद्यमान उप-धारा (2) संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजेंद्र सिंह यादव,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

Bill No.13 of 2022

(Authorised English Translation)

THE HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION, JAIPUR (AMENDMENT) BILL, 2022

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2019.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 11 of 2019.- In sub-section (2) of section 11 of the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2019 (Act No. 11 of 2019), after the existing expression "administrative organization" and before the existing expression "and, of a", the expression "or a professional from any branch of Journalism or Mass Communication with minimum of twenty years experience in private or public sector" shall be inserted.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2019, was enacted by the State Legislature in 2019 providing for establishment for University of Journalism and Mass Communication in the State of Rajasthan.

As per provisions of University Grant Commission regulations and other state universities Acts, a similar provision has been made under sub-section (2) of section 11 of the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2019 that, a person to be appointed as Vice-Chancellor in this university shall be a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization and, of a highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.

Since the said University is solely related to the field of Journalism and Mass Communication the State Government has felt it necessary that Search Committee may also recommend a professional from any branch of Journalism and Mass Communication with minimum of twenty years experience in private or public sector. Accordingly, the existing sub-section (2) of section 11 of the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2019 is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

राजेंद्र सिंह यादव,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur Act, 2019.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.